

(b) if so, what are the reasons for its failure and what corrective measures are proposed to be taken in this regard?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH): (a) and (b): According to the information furnished by UGC the Commission does not prescribe any courses of study in the universities. Such courses are prescribed by the universities themselves. UGC however, provides financial assistance to eligible universities in accordance with the prescribed norms, for restructuring of undergraduate courses in Arts, Social Sciences and Sciences to link them with work(field/practical experience and productivity. The Commission also provides assistance for introduction of courses in Computer Science; Electronic; Home Science; Management and Mass-Media Communication which equip the students with vocational skills. UGC has appointed an Expert Committee to identify vocational courses so as to provide continuity at undergraduate level to the students from the vocational stream at plus 2 level.

**Anganwadi Workers in Arunachal Pradesh and Assam**

1460. SHRI NYODEK YONGGAM: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) what is the total number of Gram Sevikas and Anganwadi workers in Arunachal Pradesh and Assam;

(fo) whether these Sevikas are getting meagre monthly salaries; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT) (SHRIMATI BA-

SAVA .RAJESHWARI): (a) to (c) The number of Anganwadi workers in Arunachal Pradesh and Assam are 1267 and 7008 respectively. The information regarding Gram Sevikas is being collected.

**बुल्गारिया में आयोजित महिला भारोत्तोलन चैम्पियनशिप में भाग लेना**

1461. चौधरी हरि सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1992 में बुल्गारिया में आयोजित विश्व चैम्पियनशिप प्रतियोगिता में देश की कुछ महिला भारोत्तोलकों ने भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो ऐसी महिला भारोत्तोलकों का राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्योरा क्या है;

(ग) उनके चयन के लिये क्या मापदंड अपनाया गया है;

(घ) क्या सरकार ने प्रत्येक प्रतियोगी को यातायात खर्च दिया है;

(ङ) क्या रहने और भोजन की व्यवस्था के लिये प्रत्येक प्रतियोगी में 16,500 रुपये लिये गये हैं ;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(छ) भविष्य में ऐसी घटनाएँ न होने देने के लिये क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्यक्रम और खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार) (श्री मुकुल वासनिक) :** (क) जी हाँ।

(ख) ब्योरा विवरण में दिया गया है (नीचे देखिये)।

(ग) पिछली चैंपियनशिप के छठे परिणाम के आधार पर सरकारी मार्ग-दर्शी रूप रेखाओं की शर्तों के अनुसार भारतीय भारोत्तोलक संघ द्वारा गठित चयन समिति द्वारा भारोत्तोलकों का चयन किया गया था।

(घ) जी, हाँ।

(ङ) सरकार ने सहभागियों के संबंध में आवास व भोजन व्यव

वहन नहीं किया है। संघ द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार इतने अपनी प्रत्येक सदस्य से आवास व भोजन, जेब खर्च और फिटिंग आदि के लिये प्रबंध करने का अनुरोध किया था। सरकार को सहभागियों में इस संबंध में किसी भी प्रकार की की गई बसुली की जानकारी नहीं है।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठते।

#### विवरण

	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	श्रेणी
1. सुश्री एन. कुजरानी	मणिपुर	44 कि. ग्रा.
2. सुश्री साजीजोम	केरल	44 कि. ग्रा. (भाग नहीं लिया)
3. सुश्री छाया अदक	दिल्ली	52 कि. ग्रा.
4. सुश्री के. मालेश्वारी	आन्ध्र प्रदेश	56 कि. ग्रा.
5. सुश्री एन. अनीता चानु	मणिपुर	60 कि. ग्रा.
6. सुश्री के. नरसम्भा	आन्ध्र प्रदेश	60 कि. ग्रा.
7. सुश्री ज्योत्सना दत्ता	प. बंगाल	+ 82.5 कि. ग्रा.

स्कूल के छात्रों को दूध उपलब्ध कराया जाना

1462. श्री सोम पाल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 जनवरी, 1993 के "राष्ट्रीय सहारा" (दिल्ली) में 'स्कूलों में बच्चों को घटिया डबलरोटी' शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में शिक्षकों और अन्य व्यक्तियों से कोई शिकायत या शिकायतें मिली हैं ;

(घ) यदि हाँ, तो कब और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ङ) क्या सरकार शीत ऋतु के छात्रों को गर्म दूध उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगी?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) जी, हाँ।